



छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ,
(A GOVERNMENT OF C.G.UNDER TAKING)(A SUCCESSOR COMPANY OF CSEB)
CIN: U40108CT2003SGC015821

कार्यालय-मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण)
विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा पूर्व

क्रमांक / 20-02 / पीजीटीआई / ए.पी.टी. / 1277

कोरबा पूर्व, दिनांक 11/09/24

विज्ञापन

अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 (As amended in 1973, 1986 & 2014) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2024-25 के लिये निम्नलिखित संकायों में स्नातक (तकनीकी / गैर तकनीकी) / डिप्लोमा योग्यता धारियों को एक वर्षीय अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण (Apprenticeship Training) हेतु नियोजित किये जाने है जो निम्नानुसार है :-

(01) स्नातक अप्रेन्टिस :-

क्रमांक	विषय	प्रशिक्षुओं की संख्या	अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षुवृत्ति की दर
01	Civil Engineering	05	मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग / टेक्नालॉजी में स्नातक ।	रुपये 9,000 /- प्रतिमाह
02	Mechanical Engineering	25		
03	Electrical Engineering	25		
04	CSE/EEE/IT	10		
	Total	65		

(02) डिप्लोमा अप्रेन्टिस :-

क्रमांक	विषय	प्रशिक्षुओं की संख्या	अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षुवृत्ति की दर
01	Civil Engineering	05	राज्य के तकनीकी बोर्ड / मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में डिप्लोमा ।	रुपये 8,000 /- प्रतिमाह
02	Mechanical Engineering	25		
03	Electrical Engineering	20		
04	CSE/EEE/IT/ Electronics	05		
	Total	55		

(03) स्नातक (सामान्य संकाय) अप्रेन्टिस :-

क्रमांक	विषय	प्रशिक्षुओं की संख्या	अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षुवृत्ति की दर
01	BSc	10	मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में स्नातक ।	रुपये 9,000 /- प्रतिमाह
02	BCA/BBA	10		
	Total	20		

नोट:- उपरोक्त प्रशिक्षुओं को छ.ग.रा.वि.उ.कं.मर्या. के हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा तेदूभांठा जि.जांजगीर चांपा एवं हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र माचाडोली में नियोजित किया जावेगा।

उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासरत उम्मीदवारों से (Apprenticeship Training) प्रशिक्षण हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

नियम एवं शर्तें :-

01. आरक्षण :- उम्मीदवारों का चयन छ.ग. शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा।

02. चयन प्रक्रिया :-

1. पात्र उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।

2. मुख्य चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची कंपनी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी एवं चयनित एवं प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके ईमेल द्वारा सूचित करते हुए निर्धारित तिथि को कान्फ्रेक्ट (अनुबंध) बनाने हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जायेगा।

03. उम्मीदवारों का (Apprenticeship) प्रशिक्षण मात्र एक वर्ष की अवधि के लिये होगी प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अस्थाई/स्थाई किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे।

04. जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव एक वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं/कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं हैं।

05. चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं भी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 (Amended in 1973, 1986 & 2014) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। घोषणा पत्र का प्रारूप Contract Registration Form में उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि एक वर्ष से कम अथवा एक वर्ष से तीन वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवारों को स्व-शपथपत्र (Self Affidavit) प्रस्तुत करना होगा कि वे इस अवधि में अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं थे (प्रारूप संलग्न) उम्मीदवार को यदि दिनांक 31 दिसम्बर 2024 को परीक्षा उत्तीर्ण किये तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, वे अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिये आवेदन करने के लिये पात्र नहीं होंगे।

06. प्रशिक्षुओं (Apprenticeship) को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

07. अभ्यर्थियों को National Apprenticeship Training Scheme (NATS) www.mhrdnats.gov.in में अपना Registration करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में वैध 16 Digit Registration Number अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। आवेदकों का NATS 2.0 में DBT के लिए समस्त अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई आवेदक DBT की अर्हताएं अनुबंध दिनांक को पूर्ण नहीं करता होगा, तो उसका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

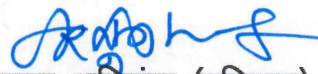
08. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

- (i) संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र ।
- (ii) संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र ।
- (iii) 10 वीं एवं 12 वीं की अंकसूची की स्वसत्यापित छायाप्रति ।
- (iv) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची की स्वसत्यापित छायाप्रति ।
- (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छ.ग. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थाई जाति प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
- (vi) छ.ग. राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति ।
- (vii) आधार कार्ड की स्वसत्यापित छायाप्रति ।
- (viii) National Apprenticeship Training Scheme (NATS) का Registration Number.

09. आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 तक डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में निम्न पते पर (कार्यालयीन समय सुबह 10.00 बजे से शाम 05.30 बजे तक) जमा कर सकते हैं । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

**कार्यालय—मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण),
विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ,
कोरबा पूर्व ,जिला—कोरबा (छ.ग.) 495677**

10. अन्य नियम एवं शर्तें अप्रेंटिसशीप एक्ट 1961 (As amended in 1973, 1986 & 2014) के तथा समय-समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी ।


मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण),
पी.जी.टी.आई., छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., कोरबा (पूर्व)

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता डी.एस.पी.एम.टी.पी.एस./एच.टी.पी.एस./ए.बी. व्ही.टी.पी.एस./हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व/कोरबा पश्चिम/मड़वा तेदूभाठा जि.जांजगीर चांपा/माचाडोली की ओर कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
2. शिक्षु प्रशिक्षण मंडल (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई एवं राज्य शिक्षुता सलाहकार , संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), ब्लॉक - 4 , प्रथम तल , इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर(छ.ग.) ।
3. स्टॉफ आफिसर—संबद्ध—प्रबंधक निदेशक (उत्पा.) छराविउकंमर्या, रायपुर ।